

प्रारूप-2

वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवशेष अवधि हेतु 31.03.2024 तक की अवधि के लिए देशी मदिरा (देशी शराब-5ग)/विदेशी मदिरा के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (विदेशी मदिरा-5घ) के आवंटन हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले शपथपत्र का प्रारूप

में ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी.....  
..... आयु ..... वर्ष.....

पता वर्तमान निवास

मकान नम्बर.....नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.....  
.....थाना/पटवारी पट्टी.....  
.....तहसील/उप तहसील.....जिला.....  
.....

आवेदक का नोटरी से प्रमाणित  
नवीनतम फोटोग्राफ प्रस्तुत  
करना होगा

पता स्थाई निवास

मकान नम्बर.....नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.....  
थाना/पटवारी पट्टी.....तहसील/उपतहसील.....  
जिला.....शपथ पूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि :-

1. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ताओं ने मदिरा की फुटकर दुकान सी0एल0-5सी (देशी शराब) एवं एफ0एल0-5डी (विदेशी मदिरा) की फुटकर बिक्री की दुकान .....  
.....थाना.....तहसील.....जिला.....  
.....के अनुज्ञापन वर्ष 2023-24 की अवशेष अवधि के लिये दिनांक 31.03.2024 तक हेतु आवेदन पत्र दिया है।
2. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण ने लाईसेन्स की शर्तों और प्रतिबन्धों को पूरी तरह से समझ लिया है और यदि आवेदित मदिरा की फुटकर दुकान उसे आवंटित की जाती है, तो वह नियमों, अनुज्ञापन की शर्तों और लाईसेन्स प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले अन्य निर्देशों का पालन करेगा/करेगी।
3. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण भारत का नागरिक है।
4. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है/हैं।
5. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण पर न तो सरकारी अथवा लोक देयों का बकायेदार है, न ही उनका नाम कालीसूची में है और न ही उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उन्हें आबकारी लाईसेन्स धारण करने से विवर्जित किया गया है।
6. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण व उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उन्हें उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) अथवा स्वापक एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि अथवा संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में दोषी नहीं पाया गया है।
7. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण के पास समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं





अनुकूलित) के प्राविधानों एवं आबकारी आयुक्त द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दुकान खोलने के लिये उपयुक्त परिसर है/किराये पर उपयुक्त परिसर लेने की व्यवस्था है (जो लागू न हो उसे काट दिया जाय) प्रस्तावित परिसर किसी विधि या नियमों के प्रतिकूल नहीं बनाया गया है एवं रोड़ साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के प्राविधानों के अनुरूप है।

8. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण मदिरा दुकान आवंटन होने की दशा में अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूतियों की धनराशि नियमानुसार समयान्तर्गत जमा करेगा/करेंगे।
9. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण को यदि देशी/विदेशी मदिरा की दुकान आवंटित होती है, तो शपथकर्ता/शपथकर्तागण आवंटन के तीस दिवस के भीतर चरित्र प्रमाण पत्र तथा वांछित हैसियत प्रमाण पत्र की मूल प्रति दुकान प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर जमा कर देगा/देंगे।
10. शपथकर्ता/शपथकर्तागण को यदि देशी/विदेशी मदिरा की दुकान आवंटित होती है तो शपथकर्ता/शपथकर्तागण आवंटन के तीस दिवस के भीतर वाणिज्य कर विभाग में अपना पंजीकरण करा लेगा/लेंगे।
11. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण द्वारा किसी ऐसे विक्रेता अथवा प्रतिनिधि जिसकी अपराधिक पृष्ठभूमि हो अथवा जो संक्रामक या छूत की बीमारी से ग्रस्त हो अथवा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो को सेवायोजित नहीं करेगा/करेंगे।
12. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण द्वारा दुकान आवंटन के बाद पावर आफ अटार्नी के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को दुकान संचालित करने हेतु अधिकृत नहीं करेगा/करेंगे।
13. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण द्वारा अनुज्ञापन की वैद्यता अवधि के दौरान अनुज्ञापन का किसी अन्य पक्ष में अन्तरण नहीं करेगा/करेंगे।
14. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण द्वारा दुकान आवंटन होने पर दुकान में बार कोड रीडर मशीन एवं स्वैप मशीन लगायेगा/लगायेंगे।
15. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्तागण को आयकर विभाग द्वारा पैन संख्या..... एवं पैन संख्या..... आवंटित की गयी है/किया गया है।
16. यहा कि शपथकर्ता आयकर दाता है तथा उसके द्वारा आवेदन पत्र के साथ आयकर विवरण की प्रति संलग्न की है।

यह कि प्रस्ताव-1 से 16 तक की विषय वस्तु एवं निविदा प्रपत्रों में दी गयी विषय वस्तु हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और किसी तथ्य को छिपाया या दबाया नहीं गया है।

(जो लागू न हो, काट दिया जाये)

स्थान.....

दिनांक.....समय.....

शपथकर्ता

पब्लिक नोटेशी का नाम और मोहर

स्थान.....दिनांक.....

 m

सह आवेदक का शपथ पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी.....

..... आयु ..... वर्ष.....

.....

आवेदक का नोटरी से प्रमाणित  
नवीनतम् फोटोग्राफ प्रस्तुत  
करना होगा

पता वर्तमान निवास

मकान नम्बर.....नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.....

थाना/पटवारी पट्टी.....तहसील/उपतहसील.....

जिला.....प्रदेश.....

पता स्थाई निवास

मकान नम्बर.....नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.....

थाना/पटवारी पट्टी.....तहसील/उप तहसील.....

जिला.....प्रदेश.....शपथ पूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि  
उपरोक्त प्रस्तार-1 से 16 तक के विषय वस्तु मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है  
और किसी तथ्य को छिपाया या दबाया नहीं गया है।

सहआवेदक के हस्ताक्षर.....स्थान.....

दिनांक.....समय.....

शपथकर्ता

पब्लिक नोटेरी का नाम और मोहर

स्थान.....दिनांक.....



(प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद)

आवेदक श्री/श्रीमति/कुमारी.....पुत्र/पत्नी/पुत्री.....  
.....निवासी.....देशी मदिरा फुटकर  
बिक्री के अनुज्ञापन (सी0एल0-5ग)/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन  
(एफ0एल0-5घ).....हेतु प्रार्थना पत्र उत्तराखण्ड  
आबकारी नीति विषयक नियमावली-2023 में निर्धारित प्रपत्रों व राजस्व के साथ प्राप्त किया  
गया। जिसे रजिस्टर के क्रमांक..... पर दर्ज किया गया।

दिनांक.....

कार्यालय की सील

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा  
अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर व समय.....

 